यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाॅ जिलाबून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–54 / 2019 दायर दिनांक: 10.05.2019

GCMS NO:- 2019/00317

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. चतरा पुत्र कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवाॅ जिला बून्दी ।
1/1. गोमदा पुत्र चतरा जाति धाकड हाल निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
1/2. महेशपाल पुत्र चतरा जाति धाकड हाल निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
1/3. गोपाल पुत्र चतरा जाति धाकड हाल निवासी छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
1/4. भूरी बेवा चतरा जाति धाकड हाल निवासी रजलावता तहसील नैनवाॅ जिला बून्दी।
1/5. मोहनी बाई पुत्री चतरा पत्नी भैरूलाल जाति धाकड हाल निवासी चेनपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/6. सोहनी बाई पुत्री चतरा पत्नी शोजीलाल जाति धाकड हाल निवासी भवानीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/7. संतरा बाई पुत्री चतरा पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड हाल निवासी भवानीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/8. कमला बाई पुत्री चतरा पत्नी शंकरलाल जाति धाकड हाल निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/9. इन्दरा बाई पुत्री चतरा पत्नी रतिराम जाति धाकड हाल निवासी भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

– वादीगण

बनाम

1. बेजा पुत्र कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवाॅ जिला बून्दी ।
1/1. किशन पुत्र बेजा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/2. सुवालाल पुत्र बेजा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
1/3. धन्नी पुत्री बेजा पत्नी प्रहलाद जाति धाकड हाल निवासी जजावर तहसील नैनवाॅ जिला बून्दी।
1/4. मीरा बाई पुत्री बेजा पत्नी बद्री जाति धाकड हाल निवासी हनुमानपुरा शोलाजी का झोंपडा मजरा जजावर तहसील नैनवाॅ जिला बून्दी।
1/5. गट्टू बाई पत्नी बेजा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामकुवांर पुत्र कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2/1. सोहनलाल पुत्र प्रहलाद तथाकथित गोदपुत्र रामकुवांर जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हरनाथ पुत्र कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3/1. कालीबाई पत्नी हरनाथ जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3/2. कालू पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3/3. घीसीबाई पुत्री हरनाथ पत्नी रमेश जाति धाकड हाल निवासी अरनेठा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. प्रहलाद पुत्र कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।

श्योराम
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाॅ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

4/1. फोरूलाल पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4/2. बदराबाई पुत्री प्रहलाद पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4/3. भरोसीबाई पुत्री प्रहलाद पत्नी गोकल जाति धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4/4. सीमाबाई पुत्री प्रहलाद पत्नी रामदेव जाति धाकड निवासी टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला बून्दी।
4/5. फूलाबाई पत्नी प्रहलाद जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. मुसम्मात फूंदी बेवा कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 53,88,89,188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः—

वादीगण के अभिभाषक श्री सीताराम नागर

प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 02.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां के खसरा सं. 103 रकबा 26—12 बीघा, खसरा संख्या 171 रकबा 10—13 बीघा, खसरा संख्या 177 रकबा 17—19 बीघा, खसरा सं. 183 रकबा 11—18 बीघा, खसरा संख्या 210 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 01—08 बीघा,खसरा सं. 297 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 288 रकबा 01—11 बीघा, खसरा संख्या 1023 रकबा 10—09 बीघा,खसरा सं. 1026 रकबा 1—12 बीघा, खसरा संख्या 1031 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1036 रकबा 02—08 बीघा,खसरा सं. 1039 रकबा 02—08 बीघा कुल किता 13 रकबा 80—05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता कस्तूरा की मृत्यु संवत 2026—27 के आस—पास हो जाने के उपरान्त वादी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा निहित है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने पिता के जीवन काल में ही उक्त कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे के समय वादी के पिता व माता प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक छोडते हुऐ उक्त भूमि का बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कर दिया था। यह कि वादी पारिवारिक 1/5 हिस्से पर बंटवारे के पश्चात से निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने आपस में मिलकर राजस्व अधिकारियों से वास्तविकता छिपाकर चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को राजस्व भू—अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे पारिवारिक बंटवारे के अनुरूप वादी का नाम राजस्व भू—अभिलेखों में दर्ज करा दे, किन्तु उन्होंनं कोई ध्यान नहीं दिया। यह कि दिनांक 14.07. 1989 को वादी जब कुली लेकर भूमि को जोतने गया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 आडे फिर गये। यह वाद का कारण है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी के स्व0 पिता की भूमि में वादी का हिस्सा 1/5 को अलग करा कर राजस्व भू—अभिलेखों में अपना नाम अलग से दर्ज करावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि वादी की भूमि 1/5 हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करवायें।

उक्त वाद का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.11.1995 में यह निर्णय दिया गया कि विवादित भूमि में से कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा पर से प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

4/5. फूलाबाई पत्नी प्रहलाद जाति धाकड निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।

...त 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादी चतरा आ0 कस्तूरा जाति धाकड निवासी रजलावता को ...र घोषित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.11.95 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील की गई। जिसके निर्णय दिनांक 13.07.2000 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक 9.11.95 को निरस्त कर कस्तूरा के खाते की भूमि मे पांचों भाईयों का समान रूप से हिस्सा माना जाकर प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13.07.2000 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनांक 30.06.2004 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 13.07.2000 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां का निर्णय दिनांक 9.11.1995 निरस्त किये गए। तथा प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वाद में नियमानुसार पुनः विचारण करके व पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 30.6.2004 यथावत रखा गया तथा अपील खारिज की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय यथावत रखने से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशो की अनुपालना में वाद पुनः संख्या 51/2004 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त वाद के निर्णय दिनांक 19.05.2017 से विवादित कुल 80 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के कायम मुकामात को हिस्सा 1/4 – 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय एवं डिक्री दिनाक 19.05.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनांक 26.03.2019 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तन्कीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्देशों की अनुपालना में वाद पुनः संख्या 54/2019 दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया। दोनों पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने के अवसर दिये गए। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी में सोहनलाल आ0 रामकुवांर जाति धाकड़ निवासी रजलावता डी.डब्ल्यू 1 दिनांक 16.8.2021, बाबूलाल आ0 कल्याण जाति खाती निवासी रललावता डी.डब्ल्यू 2 दिनांक 26.8.2021, रामस्वरूप आ0 प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी रजलावता डी.डब्ल्यू 3 दिनांक 26.8.2021 तथा ओमप्रकाश उर्फ फोरूलाल आ0 प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी रजलावता डी.डब्ल्यू 4 दिनांक 26.8.2021 आदि के बयान दर्ज रिकार्ड करवाये। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में खण्डनात्मक साक्ष्य पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान ने अपने जवाब के समर्थन में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की निर्देशिकाएं प्रस्तुत की।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में पेश हुई। पक्षकारान को केम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गए। केम्प कोर्ट में पक्षकारान उपस्थित हुए। अभिभाषक उभयपक्षकारान उपस्थित है। अन्तिम बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी के पिता के पांच पुत्र होने के कारण उनकी पैतृक सम्पत्ति में सभी को 1/5

Reader/Decesion/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

...नुसार विभाजन किया जाना चाहिए। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ... विभाग जमाबन्दी (खसरा शोधन) जो पत्रावली में प्रदर्श–9 दिनांक 03.08.2010 है, के अनुसार ... ने अपने जीवन काल में ही वृद्ध होने के कारण अपने 4 बेटों बेजा, रामकुवांर, हरनाथ एवं प्रहलाद ...नाम बंटवारा कर दिया था। साथ ही प्रदर्श–10 दिनांक 19.12.2012 वसीयतनामा जो कस्तूरा ने अपने जीवनकाल में लिखाया था, से भी उक्त भूमि का विभाजन 1/4–1/4 हिस्सानुसार देना व चतरा को छाबड़ियों के नयागांव में हिस्सा देना अंकित है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । वादी का वाद खारिज किया जाता है। वाद पत्र में इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.05.2017 को यथावत रखा जाता है। ग्राम रजलावता की जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 के खाता संख्या 115 के खसरा संख्या 220/09–00, 257/0–15, 1224/0–10, 1240/02–08, 133/1392/06–13, 1227/1395/0–11, 1237/1396/0–16 कुल किता 07 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा. ग्राम रजलावता के जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 के खाता संख्या 178 के खसरा संख्या 342/1–11, 351/0–14, 1227/01–01, 1331/1393/1393/6–13, 220/1394/8–19 कुल किता 05 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा एवं जमाबन्दी संख्या 124 के खसरा संख्या 133/6–13, 214/10–13, 262/01–08, 1232/0–12, 1237/0–16 कुल किता 05 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा एंव जमाबन्दी खाता संख्या 243 के खसरा संख्या 227/11–18, 1239/1–05, 1133/1391/6–13, 1237/1397/0–16 कुल किता 04 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, कुल रकबा 80 बीघा 05 बिस्वा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के कायम मुकाम को हिस्सा 1/4–1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested